कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

पत्रांक 335 /पि0व0क0/2023–24 दिनांक 10 नवम्बर, 2023

जिला विद्यालय निरीक्षक,
बाराबंकी।

विषयः–पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्गत समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाहीकिये जाने के संबंध में।

निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण,उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–2057/पि0व0क0/2023–24, दिनांक 03 नवम्बर, 2023 द्वारा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत निम्नवत् कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ओ0बी0सी0 के समस्त पात्र छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में पोर्टल खुला हुआ है। सभी पात्र छात्रों द्वारा https://scholarship.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त शिक्षण संस्थानों के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी पात्र छात्र आवेदन करने से वंचित न रहे।
2. पूर्वदशम् छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संबंधित शिक्षण संस्थाओं द्वारा जारी समय–सारिणी के अन्तर्गत समस्त पात्र छात्रों का डाटा समयान्तर्गत अग्रसारित किया जाए। कोई भी पात्र छात्र अग्रसारण हेतु अवशेष न रहे।
3. दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जारी समय–सारिणी के अनुसार विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन समयान्तर्गत सत्यापित किया जाय।
4. वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ओ0बी0सी0 के समस्त पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध बजट की सीमा तक आधार पेमेन्ट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खातें में सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्र को बैंक शाखा के माध्यम से बैंक खाते में आधार नम्बर सीडिंग व एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग कराना अनिवार्य होगा। अतः छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रो के बैंक खातो में आधार नम्बर सीडिंग व एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग करने की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय ताकि भविष्य में छात्रवृत्ति की धनराशि छात्रों के खातों में अन्तरित कराये जाने की प्रकिया में फेल्ड ट्रांजेक्शन की सम्भावना कम रहें। उक्त के अतिरिक्त संबंधित शिक्षण संस्थायें आधार नम्बर सीडिंग व एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग की सूचना अपने विद्यालय के सूचना पट पर चस्पा करते हुए प्रत्येक छात्र/छात्राओं को सूचित करना सुनिश्चित करें।

5. पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं से अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन आवेदन कराये जाने हेतु शिक्षण संस्थान स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार बैनर/पोस्टर के माध्यम से कराते हुए निर्गत समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही करें।

9/11/23
(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

पृ0सं0:– 334 /पि0व0क0/2023–24 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03 नवम्बर, 2023 के क्रम में।
2. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
3. जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित बिन्दुओं को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क जारी कराकर जारी प्रेस विज्ञप्ति की एक–एक प्रति जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, प्राचार्य, निदेशक, छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी समस्त शिक्षण संस्थान, जनपद–बाराबंकी को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।